

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 08/2023

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल घासीराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बावडी दरवाजा भाण्डारेज थाना सदर जिला दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल घासीराम पुत्र सोनाराम स्वयं उपस्थित ।

–: निर्णय :-

दिनांक:-29.04.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल घासीराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बावडी दरवाजा भाण्डारेज थाना सदर जिला दौसा के विरुद्ध निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुये है। गैर सायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	थाना सदर जिला दौसा	182/17	13 RPGO	197/17	29.06.2017	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड
2.	थाना सदर जिला दौसा	191/20	13 RPGO	153/20	16.07.2020	सजा 200 रूपये अर्थदण्ड
3.	थाना सदर जिला दौसा	176/21	13 RPGO	151/21	26.06.2021	सजा 100 रूपये अर्थदण्ड

उक्त शख्स घासीराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बावडी दरवाजा भाण्डारेज थाना सदर जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगों को भी जुआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। गैर सायल के विरुद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल इलाके के लोगो को जुआ सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नियत तारीख पेशी पर लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरुद्ध थाना सदर जिला दौसा में जुएं सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरण दर्ज है, जिसमें गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुएं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल इलाके के अन्य लोगो को भी जुएं सट्टे के दुष्प्रेरण में लगा रहा है, जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। उक्त शख्स के खिलाफ छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से व गवाही देने से भी लोग डरते है। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। अतः गैर सायल घासीराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बावडी दरवाजा भाण्डारेज थाना सदर जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं पेशे से निर्माण श्रमिक हूँ एवं मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता हूँ। मेरे विरुद्ध केवल मात्र 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज किये गये है, जो साधारणतया ताश पत्ती खेलने के कारण दर्ज हो गये है एवं मेरे विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में मुझे दण्डित भी किया जा चुका है। मेरे विरुद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। मुझ सिर्फ मनोरंजन के लिये दोस्तो के साथ ताशपत्ती खेलने के कारण गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है। मेरे प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर मेरे विरुद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरुद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरण दर्ज है, जिनमें प्रार्थी को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल घासीराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बावडी दरवाजा भाण्डारेज थाना सदर जिला दौसा ताश पत्ती खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी ताश पत्ती खेलकर जुआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में दौसा जिले में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल घासीराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बावडी दरवाजा भाण्डारेज थाना सदर जिला दौसा को दिनांक 30.04.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल दौसा से जयपुर के रास्ते होते हुए थाना बस्सी जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी बस्सी जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में थाना क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक शुक्रवार को थाना अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व को उक्त आदेश की पालना करवाने हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा



यह निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में
दोषी बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।